AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed, Open Acces & Google Scholar Indexed International E- Journal
Vol (1&2), Issue (3), Nov -Jan 2024-25 E-ISSN: 3048-7951

विशिष्ट शिक्षा : विशिष्ट बालक

डॉ0 कंचन दीक्षित[1] और विकास कुमार दोहरे[2]
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर और [2]एम0ए0 विद्यार्थी
मनोविज्ञान विभाग गांधी महाविद्यालय उरई,

सारांश

मनुष्य ऐसे समाज में रहता है जहाँ लोग अपने–अपने तरीके से भिन्न है जैसे व्यक्तित्व, रंग–रूप, नस्ल जातीयता से सभी मनुष्य को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। हम अपने दैनिक परिवेश में ऐसे व्यक्तियों को भी देखते है जिनका जन्म तो बिल्कुल सामान्य तरीके से हुआ है परन्तु उनको किसी न किसी तरह से सामाजिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में मुख्यतः संचार, भावनात्मक, व्यवहार संबंधी विकार, सीखने, शारीरिक और विकास संबंधी कमियाँ देखने को मिलती हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये विकार अगर शुरूआत स्तर (स्कूली) पर कम कर लिए तो जाये बालक आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते है। ऐसे बालक–बालिकाओं में छात्र स्तर पर ही शिक्षा का विकास किया जा सके जो छात्रों के आगामी जीवन का समृद्ध बना सके एवं उनके विकास में सहायक बन सके। ऐसी शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा का नाम दिया गया है।

मुख्य शब्द :– शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, शैक्षिक कौशल, विकलांगता

प्रस्तावना :–

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र के आकड़े बताते है। कि लगभग 70 बच्चों में से एक बच्चे का ए0एस0डी0 निदान किया जाता है। ए0एस0डी0 आटिज्म स्पेक्ट्रम डिस आर्डर है। जिसका संबंध मानव के मस्तिष्क से है। ये एक ऐसी बीमारी जिसमें लोगों को सामाजिक संबंधो को विकसित करने में कठिनाई होती है तथा वे भाषा का सामान्य रूप से उपयोग नहीं कर पाते है। या कभी–कभी तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते है। जिसको विकासात्मक विकलांगता के रूप में जाना जा सकता है।

विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य में विकासात्मक विकलांगता पर मुख्य बल दिया गया है। बच्चो के विकास के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम विकसित किए गये है अथवा किये जा रहे है जो बच्चो के लक्ष्य प्राप्त करने में मद्द कर सके। विशिष्ट शिक्षा में उन छात्रों के विकास पर भी बल दिया गया है जो देर से सीखते है या इसको विकासात्मक देरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बच्चे की समग्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, शैक्षिक कौशल जो उन्हें अपने सामान्य साथियों से पीछे रखती है। जो सामान्य कक्षा में सीखते है। लेकिन विकासात्मक भिन्नता के कारण, पारंपरिक कक्षा परिवेश में बच्चे की आवश्यकताए

पूरी नहीं होती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम और सेवाए मूल्यांकन के प्रदर्शन के अनुसार बच्चोंकी जरूरतों के अनुकूल होती है इसमें एक शिक्षण पद्यति सामग्री को अनुकूलित करना और निर्देश करने का तरीका शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना का मानक लिया जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर दिव्यांग जनो की कुल जनसंख्या 2.21% जिसमें से 7.62% दिव्यांग जन 0–6 वर्ष आयु वर्ग के है। इस आकड़ो का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि भारत में 121 करोड़ की आबादी में 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं दिव्यांग जनसंख्या में 56% (1.5 करोड़ पुरूष) और 44% (1.18 करोड़) महिलाएं है।

"The great omission in the draft disability policy" (Article the Hindu 15/07/2020)

राष्ट्रीय जन विकलांग नीति 2006 का पुनर्गठन वर्ष 2006 में मीरा कुमार द्वारा किया गया। इसमें भारत में नियोग्य व विकालांग व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक व चिकित्सीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का उल्लेख किया गया। भारत ने दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और फिर 1 अक्टूबर 2007 को इसकी पुष्टि की थी। एक नए दिव्यांगता कानून (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के अधिनियम ने दिव्यांगता की संख्या को स्थितियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया।

इस अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे चलन दिव्यांगता, बौनापन, माँसपेशी दुर्विकार, तेजाब हमला पीड़ित, दृष्टिवाधित अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, कम, ऊचा सुनना, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता, कुष्ठरोग से मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता (आटिज्म) निःशकत्ताओ पर ध्यान व्यक्ति से हटकर समाज की ओर स्थान्तरित हो जाता है। यह निःशकत्ता के चिकित्सा मॉडल से निःशकत्ता के सामाजिक मॉडल या मानवाधिकार मॉडल में स्थान्तरित हो जाता है।

विकलांगता एक हानि है जो प्रकृति में शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक, बौद्विक संज्ञानात्मक, संवेदी हो सकती है। यह एक व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन को काफी प्रभावित करती है लेकिन इससे उनका अस्तित्व किसी भी तरह से कम नहीं होता हैं समाज को इनको इस तरह से देखना चाहिए कि उनको कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से लागू होता है चाहे वे किसी भी तरह से अक्षम ही (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, या अन्य रूप से) भारत का संविधान हर जन की तरह दिव्यांगों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 (1) भारत सरकार को प्रोत्साहित करता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करे। जिसमें विकलांग, अपने धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर शामिल हो।

अनुच्छेद 15 (2) स्पष्ट रूप से बताता है कि विकलांग सहित भारत के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति होगी।

राज्य किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलो में विकलागो के साथ भेदभाव न करते हुए भारत के सभी नागरिको के लिए अवसर की समानता होगी।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धातों (DPSP) के अतर्गत अनुच्छेद 41 में कहाँ गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा।

संविधान की सांतवी अनुसूची की राज्य सूची में दिव्यांगजनों और बेरोजगारों का राहत का समय निर्दिष्ट है।

विकलांग व्यक्ति (पी0डब्ल्यूडी0) समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995, 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया) इस अधिनियम के द्वारा विकलांग लोगो के लिए समान अवसर और इस राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान जैसे विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक जांच, शिक्षा, रोजगार, गैर–भेदभाव, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, सकारात्मक कार्यवाही, सामाजिक सुरक्षा शिकायत पठन, विकलांगो। की रोकथाम और उनका पता लगाना है। आम जनता को विकलांगो की जानकारी देने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाना, शिक्षा की व्यवस्था करना आदि।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा जब तक कि 18 वर्ष की आयु तक सामान्य या विशेष स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ आवश्यकतानुसार प्राप्त ही किया जाता है इसके साथ ही विकलांग बच्चों को लाभान्वित करने के लिए परिवहन, वास्तुकला और शैक्षिक प्रणालियों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक संशोधन लाए जाएगे। विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबे, वर्दी और छात्रवृत्ति का अधिकार वितरित किया जाएगा। सरकारी रोजगार में, विकलांग जनो के लिए 3% अवसर आरक्षित होगे। सरकारी शिक्षण संस्थानों से तथा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अनय शैक्षिक संस्थानो में भी विकलांग जनोके लिए 3% सीटे आरक्षित होगी। सेवा के दौरान अक्षम होने पर किसी भी कर्मचारी को न तो बर्खास्त किया जाएगा न ही पदमुक्त किया जाएगा। भूमि का आवंटन विकलागों के लिए रियायती दरों पर किया जाएगा। केन्द्र व राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी। रिसर्च स्कूल एवं विशेष विद्यालयों की स्थापना किया जाना भी इसके अंतर्गत आता है।

दिव्यांगजनो के लिए सरकार हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करती रहती है। जिसमें से हालिया सरकार ने कुछ पोर्टल की सुविधा उपलब्ध की है। जिसमें विशिष्ट निःशक्ता पहचान पोर्टल, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना प्रमुख है। दिव्यांगजनों के लिए सरकार सुचारू रूप से कार्यरत है एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय नई योजनाए लागू की जाती है। सरकार के विभिन्न विभाग विद्यालयों व कालेज स्तर के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग, साक्षरता स्तर से संबंधित दिव्यांग छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे है। छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास, ब्रेल प्रेस की स्थापना एवं संचालन के साथ–साथ डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुर्नवास विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न श्रेणी की निशक्तता से ग्रसित दिव्यांग छात्र–छात्राओं को शैक्षिक सहायता प्रदत्त करना है। विभाग ने निराश्रित जन हेतु आश्रय गृह–सहप्रशिक्षण केन्द्र, कौशल–विकास केन्द्र, अनुदान पेंशन, सहायता तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण आदि की व्यवस्था की है इसके अलावा सरकार समय–समय पर विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाती है जैसे कि दिव्यांगजन से विवाह करने पर दिव्यांग/दिव्यांगता के क्षेत्र में कम कर रहे लोगों संस्थानों के लिए, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सी0एस0आर0) की पहल के उपयोग से अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित उक्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु तत्पर है।

इसके अतिरिक्त आजीविका के स्तर पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं के माध्यम से यथा दुकान निर्माण संचालन योजना की योजनाओं के माध्यम से यथा दुकान निर्माण संचालन योजना द्वारा, विभिन्न राज्य/ राज्योत्तर सेवाओं में आरक्षण छूट द्वारा दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन हेतु सदैव प्रयासरत है। इसी पटल की तरफ ध्यान देते हुए निराश्रित दिव्यांगजन के भरण–पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना लागू की है ऐसे दिव्यांगजन जिन्होने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो। उ0प्र0 सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगो की सुविधा के लिए कई योजनाओ का संचालन शुरू किया है। वर्तमान में प्रमुख योजनाए संचालित है। इनमें दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना, दुकान निर्माण/संचालन ऋण योजना, शादी प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा योजना शामिल है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांगपेंशन) योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगो को उनके भरण–पोषण के लिए 500 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को सहायक उपकरण ट्राईसाइकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, वॉकर, कैपिलर आर्टीफिशियल हाथ पैर आदि निःशुल्क प्रदान किये जाते है।

भारत सरकार ने दिव्यांगता क्षेत्र से सम्बन्धित निकाय एवं राष्ट्रीय संस्थानों की सूची तैयार की है। जो सरकार के सहयोग एवं मार्ग दर्शन में लगातार प्रयासरत है। यू0जी0सी0 ने भी सभी विश्वविद्यालयों से दिव्यांगता से सम्बन्धित चिंताओं और मुद्दो से सम्बन्धित समझ, अनुसंधान और संजाल को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र शुरू करने का अनुरोध किया है। इनमें से कुछ राष्ट्रीय संस्थानों की सूची निम्न प्रकार से है।

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद।
4. बहु दिव्यांग लोगो के लिए राष्ट्रीय सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
5. बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान तेलंगाना।

निष्कर्ष :–

सामान्य शिक्षा की तुलना में विशिष्ट शिक्षा की लागत प्रति छात्र अधिक होती है। इस प्रकार यद्धपि विशेष शिक्षा स्कूल की 10 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान कर सकती है। आंकड़ो की माने तो यह बजट का लगभग 25 प्रतिशत भी हो सकता है। विशेष शिक्षा की लागत प्रशासकों और कर दाताओं के लिए विशेष रूप से एक बहस का मुद्दा बन सकता है। विशेष शिक्षा की अतिरिक्त लागतो को समझाना कठिन है। इतनी बड़ी लागत विशेष शिक्षा पर खर्च करना, सरकार भी इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए स्कूली स्तर पर छात्र व शिक्षक का अनुपात महत्वपूर्ण बिन्दु हो सकता है। विशेष शिक्षा में शिक्षक आमतौर पर सामान्य शिक्षकों की तुलना में छात्रों के बहुत छोटे समूह को पढ़ाते है। विशेष शिक्षा शिक्षा के छात्रों को अक्सर विशेष परिवहन और अन्य सम्बन्धित सेवाओं और विशेष सामग्रियों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा के व्यय का खर्च राज्य व केन्द्र के संयोजन से ही सम्भव है। विशेष शिक्षा की अतिरिक्त लागत में केन्द्रीय योगदान सामने विशेषतः नहीं आया है। विशेष शिक्षा की आजकल जो पहल चल रही है वह प्रशसंनीय है फिर भी इसमें अभी केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। भविष्य में राष्ट्र, राज्य और इलाकों के सामने आने वाली राजकोषीय बाधाओं के साथ साथ निष्पक्षता और सामाजिक न्याय की सार्वजनिक धारणाओं के देखते हुये आर्थिक व्यवहारता पर निर्भर करेगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. बायर्न्स, एम0 (सं0)0 (2002) : पक्ष लेना विशेष शिक्षा में विवादास्पद मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार। न्यूयॉर्क मैकग्रा–हिल।
2. कुक, बीजी, और शिमर, बीआर (संस्करण) (2006) : विशेष शिक्षा में क्या खास है ? साक्ष्य–आधारित प्रथाओं की भूमिका की जांच करना, ऑस्टिन, टेक्सासः प्रो–ईडी।
3. कूट्स, जे. जे, और स्टाउट, के. (सं.) (2007) : विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के बारे में आलोचनात्मक चिंतन बोस्टन एलिन और बेकन।
4. क्रॉकेट, जेबी, गेरबर, एम एम, और लैंड्रम, टीजे (संस्करण) (2007) : विशेष शिक्षा में आमूलचूल सुधार प्राप्त करना , महवाह, एन जेः लॉरेंस एर्लबौम एसोसिएट्स।
5. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-disabled-person-can-get-the-benefit-of-5-
6. government-schemes-read-news-and-know-what-is-process-and-conditions-for-benefits-of-schemes-23068443.html
7. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/
8. https://www.swavlambancard.gov.in/schemes/search SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS Ministry of Social Justice and Empowerment.
9. https://socialjustice.gov.in › Abdulraheem,A.(2011). Education, Equality and Social Exclusion: A View. In C. Lakra, Social Action: New Education Policy and Social Exclusion (Vol.61). Social Action Trust.